न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/2018

सुरेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 2/3 आर.जे.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. विजय पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 2/3 आर.जे.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. साहबराम पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी 2/3 आर.जे.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. गुड्डी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी 2/3 आर.जे.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 21.02.2018

उपस्थितिः—

श्री सुरेश कुमार अरोडा अभिभाषक अपीलांट

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3

श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 30.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का पेश कर साहबराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि जगमाल सिंह को अपने पिता के नाम से पैतृक भूमि चक 1ई.ई. के मु.नं. 31, 32 की 33 बीघा विरासत में प्राप्त हुई थी जिसे 1998 में विक्रय कर दी। उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात विक्रय की राशि से चक 2—3 आर.जे.एम. के मु.नं. 19 व 20 की 7.9310है0. भूमि जरिये विशेष आवंटन/बैयनामा 2 व 3 के नाम से खरीद कर ली। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि की

आय से खरीद की गई है जो पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। पैतृक सम्पत्ति होने से हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 उक्त भूमि को आगे बेचान करना चाहता है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 21.02.2018 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। यदि दौराने वाद रेस्पों. द्वारा विवादित भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल कर दिया गया तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से ब.हि.ब. दर्ज है एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा न तो अधी. न्यायालय और न ही इस न्यायालय में

ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित कृषि भूमि के 1/3 हिस्सा पर प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि जरिये बैयनामा खरीद करना तथा विशेष आवंटन में आवंटित होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा है। अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर